

16/03/18

हुकम या कार्यवाही मय संपुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

16⁰³/₁₈

पत्रावली पेश हुई। बकूलाय उम्र
अनुपस्थित/ पीठाधीन अधिकारी
सौरे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पर आदेशानुसार आईया
दिनांक-15/06/18 को पेश हो

19⁰⁶/₁₈


पत्रावली आज राजस्व लौक अदालत में
प्राप्त: न्याय आपकी द्वाारा - 2018 के तहत कम्प
सुल अदालत सेवा केंद्र नीमडा में पेश हुई।
वादीगण एवं उतिवादीगण के ओर से राजीनामा पेश
हुआ। वादीगण की पहचान श्री राजेन्द्र जाखड,
एड. ने की तथा उतिवादी सं. 1, 2, 5, 6 की
पहचान श्री सुभाष चन्द्र शर्मा एड. ने की। उतिवादी
सं. 7 का राजीनामा श्री सुभाष चन्द्र शर्मा एड. ने
स्वीकार किया। उतिवादी सं. 3, 4 नाबालिग की
ओर से जिल्हे प्राता उतिवादी सं. 1 ने राजीनामा
स्वीकार किया। उपस्थित पत्रकाएत को राजीनामा
पढकर सुनाया गया जिसे सुन व समझकर उपस्थित
पत्रकाएत द्वाारा सही होना स्वीकार किया गया
अतः हस्बल्वहरीश पत्रकाएत राजीनामा काद तस्वीक
शाहित पत्रावली किया गया।

बकूलाय उम्रपह ने सुताखिल राजीनामा
दाख डिकी फरमाया जाने का निवेदन किया।
बकूलाय उम्रपह के निवेदन पर मूझिघारी तहसील
में कोई आपत्ति जाहीर नहीं की।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड
व परेशुदा राजीनामा का अमलीकन किया गया जिनके
अमलीकन से एवं लौक अदालत की भावना से
वादीगण का वाद स्वीकार किया जाने योग्य

दयाल

हस्ताक्षर



सहायिका

विनोद देवी

मैवा देवी

निशा देवी

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

पाया जाने पर एवीकार किया जाता है तथा
घोषणा एवं आशय की जारी की जाती है कि:-

आदेश

तब ग्राम नैसिडा तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.
अवस्थित लुषि भूमि ख. नं. 880, 881 टकवा 47.
है. का वादीगण को आदेश काश्तकार घोषित
किया जा रहा है वादीगण के पिता एच. श्री चौबू
पुत्र बालू का नाम हजफ किया जाता है।
उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में इमाल दरामद
है। तदनुसार पचाई डिक्री जारी है। पत्रावली
फैसल शमार होकर नम्बर से लग है तथा बाद
तहसील दायिल दफ्तर है। निर्णय मजमें आम
लुनाया गया।

19/6/88
जागीरख शाख
(RAS)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक), खण्डेला, (सीकर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

अज अदालत तहसील कलेक्टर फास्ट ट्रैक मुकाम खण्डेला

पीठासीन अधिकारी:- श्री. भागीरथ शाख,

उनवान

..... ① दयाल सिंह * बनाम ② संतोष *

दावा बाबत ई.ए.ए.ए.ए. व स्वामी निषेधाता

मुकदमा नम्बर :- 176/2015

निर्णय दिनांक :- 19/06/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री. भागीरथ शाख, RAS व हाजिरी

..... मिनजानिब मुददई रुबरु श्री. राजेन्द्र जाजड़
..... मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

तन ग्राम नीमेश तहसील खण्डेला जिला सीकर राज. अकल्पित कृषि मूषि
ख. नं. 880, 881 लम्बा 4.72 हे. का वादीगण को खतनाक आशतनाक घोषित
किया जाऊ वादीगण के पिता स्व. श्री. योन् प्रखानू का नाम
हजफ किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व टैक्स में प्रमल दामद
है।

खर्चा पक्षकारान्त अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 19/06/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(भागीरथ शाख)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
खण्डेला (सीकर)
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक) खण्डेला

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	

महोदय निवेदन है कि:-

- ① वाप-पापाप के संचालन में है।
- ② वाप पर इचित फोटो की लफ है।
- ③ वाप पर दो प्रतिमा में चेक है।
- ④ वाप पर मय समान (मामान) के इचित वाप नकली के साथ पेक है।

आपके निवेदन एवं आपसे प्राप्त फोटो

✓

7-8-15

~~श्रीमान महापद कारक (मामान) के~~

Issue Summary:

10/8
07/08/15